राजस्थान सरकार
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमांक प.प्रस्था. 1(4)पर्या.निदे./स्था./2026–01561 जयपुर, दिनांक–ई–हस्ताक्षरानुसार

–:आदेश:–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 यथा संशोधित के अन्तर्गत पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर हेतु अनुशंषित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार शासन सचिवालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियत पारिश्रमिक राशि रू. 12600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–2 पर निम्नलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाता है:–

SLNO	RANK	Roll No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Catergory	Sel-Cat
1.	30	1112834	Rakesh Malakar	Girdhari Mali	18-07-2000	Male	OBC	GEN-ARD
2.	553	2161640	Mukesh Kumar Ojha	Suresh Kumar Ojha	18-10-1999	Male	EWS	GEN-ARD
3.	3004	1824740	Sangita	Prhlad Ram	01-12-1997	Female	OBC	GEN-ARD

शर्तें:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उस अभ्यर्थी की सीमा तक नियुक्ति आदेश स्व निरस्त समझा जायेगा तथा इस संबंध में विभाग/आयोग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया जावेगा।

2. अभ्यर्थी किसी कारणवश 30 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए कार्यग्रहण की समयावधि (जो एक माह से अधिक नहीं ही) में अभिवृद्धि हेतु नियुक्ति हेतु की गई समय सीमा के कम से कम सात दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे ताकि विभाग द्वारा कार्यग्रहण की अंतिम तिथि से पूर्व निर्णय लिया जा सके। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी निदेशालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र शपथ पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र पासपोर्ट साईज की दो फोटो (जो 10 दिवस से अधिक पुरानी न हो) एवं समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज मय सत्यापित प्रतियों के साथ उपस्थित होवें, ताकि विभागीय स्तर पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति (यदि लागू हो तो) लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर विभाग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। इसी शपथ पत्र में यह शर्त भी अंकित करनी होगी कि उनके विरूद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है एवं न ही उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/दोषमुक्त किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर विभाग को उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा। (यदि एफआईआर दर्ज हैं तो, उसका विस्तृत विवरण संलग्न । Attestation Form में भरकर देना होगा।)

4. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक अथवा इसके बाद की होनी आवश्यक है।

5. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी एवं बोगस पाए जाते हैं तो विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

6. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ–पत्र/धूम्रपान नहीं करने/दहेज नहीं लेने/दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ–पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रगाम–पत्र, अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

7. अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन संबंधी ऑनलाईन प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर विभाग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने अधिकार होगा।

8. अभ्यार्थी की कार्यग्रहण करने से पूर्व संलग्न प्रपत्र–अ में भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है. उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु कार्यग्रहण के समय पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सस्थापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत आवश्यक नही है।

10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथया यह प्रतीत हो कि उनमें एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने की क्षमता नहीं है, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

11. परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–2 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते इत्यादि देय होंगे।

12. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

13. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

14. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

15. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधी एस0 बी0 सिविल याचिका संख्या 1905/2026, 4084/2026, 18091/2025 एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन उक्त भर्ती से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्ययधीन रहेगी।

16. उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किय` जाने वाले शैक्षणिक योग्यता/प्रशैक्षणिक योग्यता/आयु/वर्ग/आपराधिक प्रकरण/अन्य मूल प्रमाण–पत्रों को भौतिक जांच के उपरान्त चयन स्पष्ट होने के अध्यधीन रहेगी।

17. भर्ती प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गई स्थाई मेरिट क्रमांक ही विभाग की स्थाई मेरिट मान्य होगी। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों की वरिष्ठता विभाग को आवंटित स्थाई मेरिट क्रमांक के अनुसार अवधारित होगी।

RajKaj Ref No.:
23881144

18. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.17 के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता मंहगाई भत्ता ,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगे।

19. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगी।

20. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा मत्ता देय नहीं होगा।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग ।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. लेखा शाखा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. बिल शाखा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कार्मिक (ख-3/स्वागत कक्ष) विभाग ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी ।
10. निजी/ रक्षित पत्रावली ।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

Document certified by BIJO JOY <Joybijo@gmail.com>.

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special Secretary To Government
Date :10-08-2026 01:11:42

RajKaj Ref No.: 23881144